HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

मिशन शक्ति अभियान 5.0 फेस 02 के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 09.04.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 23.08.2021 को अभियुक्त आजाद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम सिखेड़ा थाना सिंभावली, जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिंभावली पर मु0अ0सं0 332/2021 धारा 354, 354क, 354घ भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 09.09.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 09.04.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री अमित कुमार एवं पैरोकार का0 अनुज कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।